



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून-248171

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020, [Draft UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Second Amendment) Regulations, 2020, पर सुझाव आमंत्रण

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2)(r) सपठित धारा 42(5), में प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा "प्रारूप उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020, [Draft UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Second Amendment) Regulations, 2020] जारी किया गया है। उक्त 'प्रारूप विनियम' आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।
2. प्रारूप विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक **31.12.2020** तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
3. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव